सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-77
17/02/2016

मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की

पटना, 17 फरवरी 2016 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक से जिलावार, थानावार, शीर्षवार अपराधों, अनुसंधान हेतु लंबित मामलों की समीक्षा की। साथ ही जिलावार, थानावार विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों एवं स्पीडी ट्रायल की भी समीक्षा की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी प्रमुख पथों पर बार–बार होने वाले दुर्घटना के स्थलों का चिह्नित कर दुर्घटना रोकने हेतु उपाय किये जायें। महिलाओं के विरूद्ध अपराध रोकने के लिये महिला सशक्तिकरण के उपाय किये जायें। महिलाओं पर अत्याचार होने वाले थानों की पहचान कर उस पर विशेष ध्यान दिया जाय। महिलाओं पर अत्याचार एवं बलात्कार के मामले में न्यायालय से सजा दिलाने की दर को बढ़ाया जाय।

बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि मद्य निषेध के लिये सभी थानों को अधिक संवेदनशील बनाया जाय। नाजायज शराब की सूचना हेतु उत्पाद विभाग एवं पुलिस मुख्यालय में कॉल सेन्टर स्थापित किया जाय। पुलिस मुख्यालय का कॉल सेन्टर 24x7 के आधार पर सम्पूर्ण राज्य के लिये सभी प्रकार के अपराधों की जानकारी देने हेतु हेल्पलाइन के रूप में शीघ्र काम करना शुरू कर देगा। सभी थाना प्रभारी अवैध शराब भट्ठियॉ को ध्वस्त कर प्रमाणित करेंगे कि अब उनके क्षेत्रान्तर्गत कहीं पर भी अवैध शराब नहीं बनायी जा रही है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि जाली नोट के मामले स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलायी जाय। अफिम, गॉजा एवं अन्य मादक पदाथों की खेती एवं बिक्री को रोका जाय। सड़क मार्गों पर डकैती रोकने के लिये उन स्थानों की पहचान की जाय, जहॉ बार–बार डकैती होती है। संगठित आपराधिक गिरोहों के आपसी खून–खराबा को रोकने के लिये समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई की जाय। थाना एवं पुलिस के द्वारा जन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के मामले को लोक शिकायत निवारण अधिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत लाया जाय।

बैठक में थानों में वारंट लंबित रहने एवं अनुसंधान हेतु काण्ड लंबित रहने के ऑकड़ों की विस्तृत जिलावार समीक्षा की गयी। मुख्यमंत्री ने इसके निष्पादन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाने एवं अनुश्रवण तंत्र विकसित करने का निर्देश पुलिस मुख्यालय को दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि स्पीडी ट्रायल एवं स्पीडी अपील हेतु प्राथमिकता पर कार्रवाई करने हेतु सभी जिला के लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की बैठक पटना में बुलाई जाय।

बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि सभी जिला के आरक्षी अधीक्षक अपराध ऑकड़ों की थानावार समीक्षा करेंगे। साथ ही लंबित वारंट एवं कुर्की जब्ती की भी थानावार समीक्षा कर अद्यतन कार्रवाई करायेंगे। सभी पुलिस अधीक्षक जिला की पुलिस लाइन में सप्ताह में दो बार जाकर सिपाहियों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का निवारण करेंगे। सभी थानों एवं बी0एम0पी0 परिसर में महिला सिपाहियों के लिये शौचालय एवं स्नानागारों का निर्माण त्वरित गति से कराया जाय।

बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि सड़कों पर पुलिस के द्वारा दिवा एवं रात्रि गश्ती कराया जाय। बैठक में यह निर्णय हुआ कि विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को अंगरक्षक देने की व्यवस्था की नये सिरे से समीक्षा और नई व्यवस्था की जायेगी। गृह रक्षावाहिनी के गृह रक्षकों के संवर्ग, प्रबंधन एवं मानदेय भुगतान हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था की जायेगी।

आज की बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अलावे मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर, प्रधान सचिव गृह श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, ए0डी0जी0 बी0एम0पी0 श्री संजीव सिंघल, ए0डी0जी0 हेडक्वार्टर एवं ए0डी0जी0 स्पेशल ब्रांच श्री सुनील कुमार, ए0डी0जी0 लॉ एण्ड ऑडर एवं ए0डी0जी0 सी0आई0डी0 श्री आलोक राज, आई0जी0 विकर सेक्शन श्रीमती प्रीता वर्मा, आई0जी0 सी0आई0डी0 श्री विनय कुमार, आई0जी0 सह विशेष सचिव गृह श्री जितेन्द्र कुमार, आई0जी0 बी0एम0पी0 श्री अजीताभ कुमार, आई0जी0 अभियान श्री सुशील खोपड़े, आई0जी0 रेल श्री अमित कुमार, आई0जी0 मुख्यालय श्री सुनील कुमार, जोनल आई0जी0 पटना श्री कुन्दन कृष्णन, जोनल आई0जी0 भागलपुर श्री बी0एस0 मीणा, आई0जी0 मुजफ्फरपुर पारसनाथ सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

******